Court Case No - 146/2026.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फा. सं.: NCST/ATY-2803/MH/25/2025-RU-I

श्री जितेंद्र डूडी,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला- पुणे,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
सासून अस्पताल के सामने,
स्टेशन रोड, पुणे-411001
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) के समक्ष **दिनांक 21.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष-I, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में** आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि के अवैध विक्रय के संबंध में दस्तावेज संख्या 1271-2004 की रद्दीकरण एवं दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में श्री गणेश मधुकर पवार, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 30.06.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2. आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 07.07.2026 (प्रति संलग्न).

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 10 , जुलाई, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

रविन्द्र कान्त

मोहर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003